भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3918
12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

लंबित एमपीलैड्स निधि जारी करना

3918. श्री वरुण चौधरी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 से लंबित 5 करोड़ रुपये की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि अठारहवीं लोक सभा में उपयोग हेतु कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ख) उपर्युक्त निधि को जारी करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की -गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के समयांतराल/विलंब को दूर करने तथा एमपीलैड्स निधि जारी करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय-सीमा का पालन करने का प्रावधान करने वाले किसी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) मंत्रालय ने जून 2026 में अंबाला संसदीय क्षेत्र के 18वें लोकसभा संसद सदस्य के एमपीलैड्स खाते में, अंबाला संसदीय क्षेत्र (17वीं लोकसभा) से अप्रतिबद्ध शेष राशि ₹1,04,54,264 के साथ-साथ, वित्त वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए एमपीलैड्स निधि की लंबित किस्तें (कुल ₹10.00 करोड़) जारी कीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के पैरा 10.6.1 के अनुसार, कार्यान्वयन ज़िला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संस्तुत किए गए सभी काम, संबंधित सदस्य के पद छोड़ने की तारीख से 18 महीनों के भीतर पूरे हो जाएं, और उसके बाद खाता बंद करने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इसलिए, नोडल ज़िला प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा कि वे पूर्व सांसदों के ऐसे खातों को उनके पद छोड़ने की तारीख से ज़्यादा से ज़्यादा 21 महीनों के भीतर निपटाएं और बंद करें।

इसके अलावा, ई-साक्षी पोर्टल पर 18वीं लोकसभा के मौजूदा सांसद के खाते में अनुप्रयुक्त राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, एमपीलैड्स दिशानिर्देश के पैरा 10.5.1 में विहित नियमानुसार होती है। यह ट्रांसफर संबंधित नोडल ज़िला प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर ही किया जाता है।

मंत्रालय ने सभी राज्य नोडल प्राधिकरणों और ज़िला प्राधिकरणों से भी यह अनुरोध किया है कि वे पूर्व सांसदों से संबंधित आवंटित न की गई और अनुप्रयुक्त राशि के पुनर्वितरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने और ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाएँ।
